

फर्द अहकाम

नियम 26

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ (राज0),
अनवानी रामप्रताप बनाम स्टेट आदि

किस्म मुकदमा धारा 251 ए राज.काश्त.अधिनियम

मु.न. 066/2020

हुकम कार्यवाही विवरण

18.7.2025

पत्रावली आज पेशी में ली गई। प्रार्थी अधिवक्ता श्री बलविन्द्र सिंह व अप्रार्थी अधिवक्ता श्री बहादूर स्वामी व राज पैरोकार उपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी जा चुकी है। दौरान बहस प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र को विस्तृत रूप से दोहराते हुए कथन किया कि चक 2 एचएलएम प.न. 130/381 मु.न. 29 कि.न. 21 ता 25 प.न. 131/381 मु.न. 28 कि.न. 21 ता 24 में 0.051 हैक्टेयर का रास्ता स्वीकृत है। उक्त चौड़ाई में रास्ते की उपयोगिता नहीं है। इसलिए उक्त रास्ता 0.026 हैक्टेयर तक सीमित करते हुये शेष भूमि मुमकिन दर्ज की जावे। उक्त रास्ता को मुमकिन कर प्रार्थीगण को खातेदारी प्रदान की जावें। इतनी अधिक चौड़ाई की उक्त रास्ता की आवश्यकता नहीं रही है तथा उक्त रास्ते की कभी आवश्यकता भी नहीं रही है। सरपंच ग्राम पंचायत मैनावाली ने रास्ता चौड़ाई को कम किये जाने पर एजराज जरिये अपने पत्रांक दिनांक 21.01.2021 द्वारा किया है। राज पैरोकार द्वारा दौरान बहस प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए भविष्य में रास्ते की आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थना खारिज करने हेतु निवेदन किया। समायत बहस का मनन किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायिक दृष्टान्त माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के क्रम सं. 1 रूपनारायण के विधिक प्रतिनिधि बनाम राज्य 1992 आर.आर.डी 496, क्रम सं. 2 शंकरसिंह बनाम गोगीदेवी आर.बी.जे (20) 2013 पेज 309, क्रम सं. 3 रमेश चंद बनाम मोहरसिंह आर.आर.टी. 2018(1) पेज 592 का न्यायिक मस्तिक से अध्ययन किया व बाद अध्ययन पाया कि शर्त संख्या 8 (2) 1955 या धारा 251 ए के तहत उपखण्ड अधिकारी रास्ता स्वीकृत कर सकता है, परन्तु गैर मुमकिन रास्ता को निरस्त करने या कम करने का अधिकार प्राप्त नहीं है।

धारा 88 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अनुसार सड़क तथा समस्त भूमि जो अन्य किसी की सम्पत्ति नहीं है वह राज्य सरकार की सम्पत्ति है। प्रश्नगत रास्ता राज्य सरकार का है। इसको निरस्त करवाने का अधिकार वादी/प्रार्थी को नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 (6) के तहत सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर किसी को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। गैर मुमकिन रास्ता सामान्यजन के उपयोग तथा उपभोग हेतु राज्य सरकार की सम्पत्ति है। जिसकी मालिक राज्य सरकार है। जिसमें सार्वजनिक उपयोग एवं उपभोग में किसी भी प्रकार से कोई बाधा अथवा अड़चन पैदा नहीं की जा सकती है।

अतः उक्त न्यायायिक दृष्टान्तों की अनुसरण में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य नहीं होने व क्षेत्राधिकार में नहीं होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो

निर्णय आज दिनांक 18.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ